

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :-

बनाम

अप्रार्थीगण

हारून मोहम्मद पुत्र इसाक मुसलमान
निवासी बडू तह. परबतसर

तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमां नम्बर :- 2022/53


आदेश दिनांक :- 14.03.2022

आदेश

प्रार्थी की आरे से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि भादवा के खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल रकबा 16.18 हैक्टर स्थित है में प्रार्थी का नाम हारून दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हारून मोहम्मद है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हारून मोहम्मद दर्ज है। दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने से प्रार्थी को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्बन्ध में अप्रार्थीगण एवं राजपैरोका तहसीलदार परबतसर ने इकबालिया जबाब / राजीनामा पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण / राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात से भी प्रार्थी का सही नाम हारून मोहम्मद होना प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भादवा के खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 6 7 कुल रकबा 16.76 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम हारून के स्थान पर हारून मोहम्मद दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी हो।


(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)